न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 106/2017 (223 आरटीए) टीकूराम वगै. बनाम भल्लाराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00271)

1 टीकूराम पुत्र स्व. श्री भूराराम,
2 किशनाराम पुत्र स्व. श्री भूराराम,
3 बंशीलाल पुत्र स्व. श्री भूराराम,
4 मानाराम पुत्र स्व श्री भूराराम,
5 मूलाराम पुत्र स्व. श्री भूराराम

सभी जातिगण जाट, निवासीगण ग्राम सांवल नगर, आमला, तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

.... अपीलांटस्

बनाम

1 भल्लाराम गोदवपुत्र श्री नगाराम,
2 उदाराम पुत्र श्री मगाराम,
3 श्रीमती माडू पत्नी स्व. श्री मगाराम

तीनों जाति जाट निवासीगण ग्राम सांवलनगर, आमला, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

4 पन्नाराम पुत्र श्री पूरणाराम,
5 घमण्डाराम पुत्र श्री पूरणाराम,
6 श्रीमती खेतू पत्नी श्री घमण्डाराम

जातियान जाट निवासीगण ग्राम रूपाणा, जेताणा तहसील लोहावट जिला जोधपुर।

7 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील फलोदी जिला जिला जोधपुर।

8 थार आंचलिक ग्रामीण बैंक जरिए मैनेजर, शाखा छीला, तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

.... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलोदी
दिनांक 31.03.2006 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 15/2006

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश प्रजापत।
2 रेस्पो. सं. 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत।
3 रेस्पो. सं. 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।
4 रेस्पो. सं. 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 11.10.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर फलोदी के राजस्व वाद सं. 15/2006 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2006 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी के समक्ष धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट्स के पिता श्री भूराराम की ओर से राजस्व वाद सं. 15/2006 पेश किया कि ग्राम आमला, तहसील फलोदी की काश्त की भूमि खेत खसरा नं. 448 रकबा 223 बीघा 7 बिस्वा की खातेदारी मु. गौरी पत्नी नगाराम, भूराराम व मगाराम पुत्र देवाराम को बहिस्सा बराबर खातेदारी अधिकार प्राप्त थे। खेत खसरा नं. 448 रकबा 223 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से 24 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं. 4 व 5 को जरिए विक्रय पत्र बेचान कर दी जिसका नामांतरकरण सं. 224 के जरिए प्रतिवादी सं. 4 व 5 को खातेदारी अधिकार प्रात हुए तथा शेष भूमि 198 बीघा 11 बिस्वा में अपने 1/3 हिस्से की भूमि में से 1/6 हिस्सा यानी कुल भूमि का 1/18वां हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 व 5 को विक्रय कर दी। प्रतिवादी सं. 4 व 5 को जरिए नामांतरकरण सं.387 से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। मु. गौरी पत्नी मगाराम ने अपने जीवन काल में भल्लाराम प्रतिवादी सं. 1 को गोद लिया व गौरी का देहांत के बाद गोरी कीखातेदारी की भूमि पर भल्लाराम प्रतिवादी सं. 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए व मगाराम के देहांत के बाद उनके पुत्र व पत्नी क्रमशः उदाराम प्रतिवादी सं. 2 को 1/6 हिस्सा व माडू प्रतिवादी सं. 3 को 1/6 हिस्सा मु. मगाराम की भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए भल्लाराम प्रतिवादी सं. 1 ने अपने 1/3 हिस्सा की भूमि में से 1/5 हिस्सा यानि कुल भूमि का 1/15 हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 खेतूदेवी को बेचान कर दी तथा भूराराम वादी ने अपने 1/3 हिस्सा की भूमि में से 1/18 हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 व 5 क्रमशः पन्नाराम व घमण्डाराम को पूर्व में बेचान के उपरांत शेष भूमि 5/18 में से 2/13

हिस्सा यानि कुल रकबे का 5/17 हिस्सा खेतु प्रतिवादी सं. 6 को बेचान कर दी तथा प्रतिवादी सं. 2 उदाराम ने अपने हिस्से की भूमि 1/6 हिस्से में से 1/96 हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 खेतू को बेचान कर दी जिसका नामांतरकरण सं. 504 है। नामांतकरकरण सं. 504 भरते वक्त हल्का पटवारी ने गलती से भूराराम वादी का हिस्सा 55/234 के स्थान पर 5/234 दर्ज कर दिया जो गलत है। वादी ने आगे निवेदन किया वादी के हिस्से 5/234 के स्थान पर 55/234 किया जावे। वादी का हिस्सा का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से किया जाकर वादी के हिस्से की भूमि 55/234 का हिस्सेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें व उसी माफिक राजस्व रिकार्ड नक्शा में तरमीम करवाने का अधिकारी है। वादी ने अंत में निवेदन किया कि वादी खेत खसरा नं. 448 रकबा 198 बीघा 11 बिस्वा भूमि में 55/234 हिस्सा की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है व उसी माफिक राजस्व रिकार्ड नक्शा में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 1 को खेत खसरा नं. 448 रकबा 198 बीघा 11 बिस्वा में 4/15 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 उदाराम को 15/96 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 माडू का का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 घमण्डाराम का 1/36 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 5 पन्नाराम का 1/36 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 6 खेतु का 2243/1872 हिस्सा की खातेदारी घोषित की जावे। वादी का वाद बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। विचारण न्यायालय ने वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 22.03.2006 को अपना अधिवक्ता नियुक्त किया गया और उसी दिन पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 31.03.2006 को मुकर्रर की गई और दिनांक 31.03.2006 को डिक्री जारी की गई। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2006 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश प्रजापत ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के हक

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

हिस्से/रकबा में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के साथ नजरी नक्शा पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा सद्‌भाविक भूल के कारण प्रस्तुत कर दिया गया। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में आंशिक संशोधन कर विचारण के समक्ष पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा राजीनामें के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार राजस्व रिकार्ड नक्शे में तरमीम नहीं कर मौके की रिपोर्ट मंगवाई जाकर अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स द्वारा मौके पर काबिज अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम करवानो सादर आदेश पारित फरमया जाना न्यायोचित है।

अपीलांट्स के अधिवक्ता ने बहस में यह भी कथन किया कि विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय व डिक्री की आड़ में रेस्पोडेंट्स ने दिनांक 19.12.2017 को अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करना शुरू कर दिया और अपीलार्थीगण को यह धमकी दी कि वे अपीलार्थीगण को उनके कब्जे काश्त, हक हिस्से में काश्त नहीं करने देंगें और रेस्पोडेंट्स अपना कब्जा कर लेंगे तब अपीलांट्स को यह ज्ञात हुआ कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की दिनांक 21.12.2017 को नकलें निकलवाई तब अपीलार्थीगण को यह ज्ञात हुआ कि विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा सद्‌भाविक भूल से घोषणा व बंटवारें के दावे में राजीनामें के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा गलत पेश कर दिए जाने के कारण आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित हुआ है। जिससे अपीलार्थीगण ने जानकारी की तिथि से अंदर मियाद उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। अतः अपीलांट्स की अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाकर धारा–5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया।

5 रेस्पो. सं. 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत ने बहस में अपीलांट के अधिवक्ता की बहस के तथ्यों को स्वीकार करते हुए कथन किया कि नजरी नक्शे में सद्‌भाविक भूल हुई है अतः अपीलांट की अपील स्वीकार किए जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं।

6 रेस्पो. सं. 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं। अतः प्रकरण में उचित निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

11/4 राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर

8 प्रस्तुत अपील में उभयपक्षकारान के अधिवक्ता अपील स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड करने पर सहमत हैं। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाकर धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा गलत नजरी नक्शा सद्भाविक भूल से प्रस्तुत करना उभयपक्षकारान स्वीकार कर रहे हैं अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड योग्य पाया जाता है तथा अपील अपीलांट स्वीकार किए जाने योग्य पाई जाती है।

9 अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.03.2006 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामें के समय प्रस्तुत गलत नक्शे के बजाय राजीनामा एवं उनके हिस्से अनुसार मौके पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में संशोधित नजरी नक्शा तैयार करवाया जावे एवं तदनुसार विधिवत निर्णय व डिक्री पुनः पारित की जावे।

11/10/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 11.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/10/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर